

## महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

### प्रलिस के ललल:

अनुच्छेद 131, सर्वोच्च न्यायालय, सरकारलल आयोग, संवलन का अनुच्छेद 263 ।

### मेन्स के ललल:

भारत में अंतर-राज्यीय वलवलद महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वलवलद और आगे की राह ।

## चर्चा में क्यों?

महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा वलवलद की गंभीरता को देखते हुए दोनों राज्यों ने वलवलद को हल करने के ललल कानूनी लड़ाई का समर्थन करने हेतु एक सर्वसमत प्रस्ताव पारलल कलल है ।

## महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वलवलद:

### परचलल:

- उत्तरी कर्नाटक में बेलगावी, कारवार और नपलनी को लेकर सीमा संबंधी वलवलद काफी पुराना है ।
- वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधनललम के अनुसार, जब राज्य की सीमाओं को भाषायी आधार पर नरलधरलल कलल गया, तब बेलगावी पूर्ववर्ती मैसूर राज्य का हलसल बन गया ।
  - यह अधनललम वर्ष 1953 में नललकृत न्यायमूर्तल फलज़ल अली आयोग के नषलकर्षों पर आधारलल था और उन्होंने दो वर्ष बाद अपनी रपलरट प्रस्तुत की थी ।
- महाराष्ट्र का दावा है कल बेलगावी के कुछ हलसल, जहाँ मराठी प्रमुख भाषा है, महाराष्ट्र के अंतरगत रहने चाहलल ।
- अक्टूबर 1966 में केंद्र ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में सीमा वलवलद को हल करने के ललल भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहर चंद महाजन के नेतृत्व में महाजन आयोग की स्थापना की ।
- इस आयोग ने सफलरशल की कल बेलगाम और 247 गाँव कर्नाटक के अंतरगत रहें । महाराष्ट्र ने इस रपलरट को खारज़ कर दलल और वर्ष 2004 में सर्वोच्च न्यायालय का रुख कलल ।

### महाराष्ट्र के दावे का आधार:

- महाराष्ट्र का अपनी सीमा के पुनः समायोजन का दावा सामीप्य, सापेक्ष भाषायी बहुमत और लोगों की इच्छा के आधार पर था । बेलगावी और आसपास के कषेत्रों में मराठी भाषी लोगों तथा भाषायी एकरूपता के आधार पर दावे का मुख्य कारण कारवार एवं सुपा कषेत्र में मराठी की बोली के रूप में उद्धृत भाषा कोंकणी का प्रयोग है ।
- इसका तर्क इस वलवलर पर केंद्रलल था कल गणना समुदायों के आधार पर होनी चाहलल, और इसने प्रत्येक गाँव में भाषायी नवलसललियों की संख्या/आबादी को सूचीबद्ध कलल ।
- महाराष्ट्र ने इस ऐतहलसकल तथ्य की ओर भी इशारा कलल कल इन मराठी भाषी कषेत्रों के राजस्व अभललख भी मराठी में ही होते हैं ।

### कर्नाटक की स्थललल:

- कर्नाटक ने तर्क दलल है कल राज्य पुनर्गठन अधनललम के अनुसार सीमाओं का समझौता अंतलम है ।
- राज्य की सीमा न तो अस्थायी थी और न ही लचीली । राज्य का तर्क है कल यह मुद्दा उन सीमा मुद्दों को फरल से खोल देगा जनल पर अधनललम के तहत वलवलर नहीं कलल गया है, अतः ऐसी मांग की अनुमतल नहीं दी जानी चाहलल ।

## समस्या के समाधान के ललल उठाए गए कदम:

- अंतर-राज्यीय वलवलदों को अक्सर दोनों पक्षों के सहयोग से हल करने का प्रयास कलल जाता है, जललमें केंद्र एक सूत्रधार या तटस्थ मध्यस्थ के रूप में काम करता है ।
- यदल मुद्दों को सौहारदपूर्ण ढंग से हल कलल जाता है, तो संसद राज्य की सीमाओं को बदलने के ललल कानून ला सकती है, जैसे बहलर-उत्तर प्रदेश (सीमाओं का परवलरतन) अधनललम 1968 और हरयलणा-उत्तर प्रदेश (सीमाओं का परवलरतन) अधनललम 1979 ।

- बेलगावी मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमति शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की और उन्हें सभी सीमा मुद्दों को हल करने के लिये प्रत्येक पक्ष के तीन मंत्रियों वाली छह सदस्यीय टीम बनाने के लिये कहा।

## अन्य उपलब्ध तरीके:

- न्यायिक नविवरण:
  - सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के तहत राज्यों के बीच विवादों का नपिटारा करता है।
  - संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार, भारत सरकार और किसी राज्य के बीच या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी भी प्रकार के विवाद को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है।
- अंतर-राज्यीय परिषद:
  - संविधान का अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को राज्यों के बीच विवादों के समाधान के लिये अंतर-राज्यीय परिषद गठित करने की शक्ति देता है।
  - परिषद की परिकल्पना राज्यों और केंद्र के बीच चर्चा के लिये एक मंच के रूप में की गई है।
    - वर्ष 1988 में सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया कि परिषद को एक स्थायी निकाय के रूप में गठित किया जाना चाहिये तथा वर्ष 1990 में यह राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से अस्तित्व में आया।

## अन्य अंतरराज्यीय विवाद:

असम-अरुणाचल प्रदेश:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ असम और अरुणाचल प्रदेश 804.10 कमी. की अंतर-राज्यीय सीमा साझा करते हैं।</li> <li>■ वर्ष 1987 में बनाए गए अरुणाचल प्रदेश राज्य का दावा है कि पारंपरिक रूप से इसके निवासियों की कुछ भूमि असम को दे दी गई है।</li> <li>■ एक त्रिपक्षीय समिति ने सफाई की थी कि कुछ क्षेत्रों को असम से अरुणाचल प्रदेश में स्थानांतरित किया जाए। इस मुद्दे को लेकर दोनों राज्य न्यायालय की शरण में हैं।</li> </ul>
असम-मजोरम:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ मजोरम अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले असम का एक जिला हुआ करता था जो बाद में अलग राज्य बना।</li> <li>■ मजोरम की सीमा असम के कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिलों से लगती है।</li> <li>■ समय के साथ सीमांकन को लेकर दोनों राज्यों की अलग-अलग धारणाएँ बनने लगीं।</li> <li>■ मजोरम चाहता है कि यह बाहरी प्रभाव से आदवासियों की रक्षा के लिये वर्ष 1875 में अधिसूचित एक आंतरिक रेखा के साथ हो, जो मजोरम को उनकी ऐतिहासिक मातृभूमि का हिसा लगाता है, असम का मानना है कि सीमा का निर्धारण बाद में तैयार की गई जिला सीमाओं के अनुसार किया जाए।</li> </ul>
असम-नगालैंड:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ वर्ष 1963 में नगालैंड के गठन के बाद से ही दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद चल रहा है।</li> <li>■ दोनों राज्य असम के गोलाघाट जिले के मैदानी इलाकों के निकट एक छोटे से गाँव मेरापानी पर अपना दावा करते हैं।</li> <li>■ वर्ष 1960 के दशक से इस क्षेत्र में हसिक झड़पों की खबरें आती रही हैं।</li> </ul>
असम-मेघालय:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ मेघालय ने करीब एक दर्ज़न क्षेत्रों की पहचान की है जहाँ राज्य की सीमाओं को लेकर असम के साथ उसका विवाद है।</li> </ul>
हरियाणा-हमिचल प्रदेश:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ दो उत्तरी राज्यों (हरियाणा-हमिचल प्रदेश) में परवाणू क्षेत्र को लेकर सीमा विवाद है, जो हरियाणा के पंचकुला जिले के समीप स्थित है।</li> <li>■ हरियाणा ने इस क्षेत्र की ज़मीन के काफी बड़े हिस्से पर अपना दावा किया है और हमिचल प्रदेश पर हरियाणा के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों पर कब्ज़ा करने का आरोप लगाया है।</li> </ul>
लद्दाख-हमिचल प्रदेश:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ लद्दाख और हमिचल प्रदेश दोनों केंद्रशासित प्रदेश सरचू क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं, जो लेह-मनाली राजमार्ग से यात्रा करने वालों के लिये एक प्रमुख पड़ाव बंदु है।</li> <li>■ यह क्षेत्र हमिचल प्रदेश के लाहौल और स्पीती जिले तथा लद्दाख के लेह जिले के बीच स्थित है।</li> </ul>

## आगे की राह

- राज्यों के बीच सीमा विवादों को वास्तविक सीमा स्थानों के उपग्रह मानचित्रण का उपयोग करके सुलझाया जा सकता है।
- अंतर-राज्यीय परिषद को पुनर्जीवित करना अंतर-राज्यीय विवाद के समाधान का एक विकल्प हो सकता है।
  - संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्यीय परिषद से विवादों की जाँच और सलाह देने, सभी राज्यों के लिये सामान्य वषियों पर चर्चा करने तथा बेहतर नीति समन्वय हेतु सफारिशें करने की अपेक्षा की जाती है।
- इसी तरह सामाजिक और आर्थिक नियोजन, सीमा विवाद, अंतर-राज्यीय परिवहन आदि से संबंधित मुद्दों पर प्रत्येक क्षेत्र में राज्यों के लिये सामान्य चर्चा के मामलों पर चर्चा करने हेतु **क्षेत्रीय परिषदों** को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।
- भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है। हालाँकि इस एकता को और मज़बूत करने के लिये केंद्र व राज्य सरकारों दोनों को **सहकारी संघवाद** के लोकाचार को आत्मसात करने की आवश्यकता है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का फैसला करने के लिये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत है? (2014)

- सलाहकार क्षेत्राधिकार
- अपीलीय क्षेत्राधिकार
- मूल अधिकार क्षेत्र
- रिट क्षेत्राधिकार

उत्तर: (c)

**स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस**

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/maharashtra-karnataka-border-dispute>

